

न्यायालय तहसीलदार, ब्यावर, जिला-अजमेर (राज.)

राजस्व मुकदमा नम्बर - 73/2019

सरकार जरिये पटवारी हल्का जवाजा

बनाम

श्री कुशालसिंह पुत्र जैतसिंह, जाति-रावत, निवासी-केलो की नाडी
मुकदमा अन्तर्गत धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक : 11/12/19

साराशतः प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम-जवाजा, पटवार मण्डल-जवाजा, तहसील-ब्यावर के खसरा नम्बर 2522/12 कुल रकबा 46-04-10 किस्म-दांती में से रकबा 00-03-00 सरकारी सिवायचक भूमि पर श्री कुशालसिंह पुत्र जैतसिंह, जाति-रावत, निवासी-केलो की नाडी ने अवैध रूप से कांटो की बाड़ लगाकर अतिचार करने पर पटवारी हल्का जवाजा ने उक्त अतिक्रमी के विरुद्ध धारा 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट पटवारी के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया।

मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। वाद अवलोकन पाया गया कि अप्रार्थी उपस्थित, लेकिन किसी प्रकार का कोई दस्तावेजी राक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है। ऐसी स्थिति में अतिक्रमी द्वारा किया गया अतिक्रमण से वेदखल किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम-जवाजा की सरकारी सिवायचक भूमि के ख.नं. 2522/12 पर अप्रार्थी द्वारा किये गये अवैध रूप से कांटो की बाड़ लगाकर रकबे से वेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा भू.अ.निरीक्षक/हल्का पटवारी को आदेश दिये जाते है कि अतिक्रमित भूमि पर अवैध कब्जे पर पत्थर आदि कोई सामग्री पडी हो तो जक्त सरकार कर नियमानुसार नीलामी की कार्यवाही करे तथा फर्द नीलामी वारस्ते स्वीकृती हेतु पेश करे। साथ ही अतिचारी पर वार्षिक लगान रु. 0.20 का पचास गुना राउंड फीगर राशि रु. 50/- पेनल्टी कायम की जाती है।

तहसील राजस्व लेखाकार/हल्का पटवारी /भू.अभिलेख निरीक्षक को कब्जा/वेदखली/ ध्वस्त कार्यवाही/जक्ती/नीलामी/डिमाण्ड कायमी/वसूली आदि की रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु पृथक से लिखा जावे। गिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। वाद कार्यालय कार्यवाही की जावे।

तहसीलदार ब्यावर

